तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा बजरंग बनाम शंकर लाल बलाई नं. 88/18	नम्बर अ... हुक्म के... में जा...
विविध-वाद		
	15.06.2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बेंरा में पैश हुई । वादी मय अधिवक्ता व राज्य पक्ष की और तहसीलदार बनेडा नियत शिविर में उपस्थित। पत्रावली का बारिखी से अवलोकन/परिक्षण किया गया तथा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। देखने से पत्रावली यह जाहिर आया कि इन्ही पक्षकारान में से वादी बजरंग ढोली की और से एक ही वाद विषय/आशय, आराजीयात का एक वादपत्र पृथक से शंकरलाल बलाई के विरूद्ध दिनांक 09.03.2015 से इस न्यायालय में प्रस्तुतशुदा है, जिसको आज शिविर के दौरान ही मंजूर कर निर्णित किया गया है। इस प्रकार यह पश्चातवृती वादपत्र दफा 10 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानो का उलन्घन कर प्रस्तुत किया गया है। इस पर वादी के अधिवक्ता से इसका स्पष्टीकरण लिये जाने पर उनके द्वारा इस पश्चातवृती वादपत्र को पूर्ववृती वादपत्र संख्या 11/2015 के साथ संलग्न किये जाने में अपनी और से सहमति व्यक्त की। अतः इस पश्चातवृती वादपत्र को इसी न्यायालय के समान अनवानी आशय के पूर्ववृती वाद संख्या 11/2015 के साथ संलग्न किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।	बजरं